राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(424)एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक 19 APR 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(85)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा डॉ0 रामबाबू सैनी, (मेरिट क्रमांक 13/पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 31.05.1986) को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 सैनी को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 रामबाबू सैनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(424)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 18.01.2018 के द्वारा डॉ0 सैनी के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 06.02.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। डॉ0 सैनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(424)एम.ई./ग्रुप–1/2017 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा डॉ0 सैनी के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 06.03.2018 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे। साथ ही पत्र में यह भी अंकित कर दिया गया था कि आपके कार्यग्रहण काल में अन्तिम बार अभिवृद्धि की जाती है। डॉ0 सैनी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण न कर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यग्रहण काल में तीन माह की अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 रामबाबू सैनी उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नही है। अतः डॉ0 रामबाबू सैनी के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(85)एम.ई./ग्रुप–1/2013 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2014–15/280 दिनांक 23.08.2017 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013–14/ 771 दिनांक 06.10.2016 एवं प. 7(33)भर्ती 'ख'/गोपनीय/2014–15/482 दिनांक 01.11.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
4. डॉ0 रामबाबू सैनी पुत्र श्री रामनिवास सैनी, ग्राम–पोस्ट– सेवा, वाया–दूदू, तह0 मोजमाबाद, जिला–जयपुर(राज.)–303008 **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव